Regd. No. CHD/0093/2012 2014



# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2014 (PHALGUNA 2, 1935 SAKA)

#### HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

#### Notification

The 21st February, 2014

No. 6—HLA of 2014/7.—The Prisons (Haryana Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:

Bill No. 6-HLA of 2014

THE PRISONS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL.

further to amend the Prisons Act, 1894, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Prisons (Haryana Amendment) Act, 2014. Short title

Price: Rs. 5.00 (623)

624

Amendment of section 3 of Central Act 9 of 1894

- 2. In section 3 of the Prisons Act, 1894 (hereinafter called the principal Act),—
  - (i) in clause (8), the word "and" shall be omitted;
  - (ii) in clause (9), for the sign ".", existing at the end, the sign and word; "and" shall be substituted; and
  - (iii) after clause (9), the following clause shall be added, namely: -
    - (10) "wireless communication device" includes mobile phone, wi-fi for personal computer, tablet personal computer, computer, laptop, palmtop and their use for communication like verbal, non verbal, internet, General Packet Radio Service (GPRS), e-mail, Short Message Service (SMS), Multimedia Message Service (MMS) or any such device, which is available for similar purpose.".

Insertion of section 42A in Central Act 9 of 1894

- 3. After section 42 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:
  - "42A. Prohibition of possession of wireless communication device. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if any prisoner is found guilty of possessing, operating or using a wireless communication device or its components like sim card, memory card, battery or charger or any other component of such device or if the prisoner or any other person assists or abets or instigates in the supply thereof, he shall be punished with imprisonment for a minimum period of two years which may extend to three years or with fine not exceeding twenty-five thousand rupees or with both.
- (2) If the prisoner is found using the wireless communication device for attempting, abetting, conspiring or committing an offence inside or outside the jail premises and as a consequence thereof an offence is committed, he shall be punished with imprisonment provided in the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860) for the offence so committed.
- (3) The prisoner shall undergo the sentence awarded under sub-section (1) or sub-section (2) after the completion of the sentence already undergoing.".

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present Prisons Act, 1894 is applicable for the Haryana Jails administration. In this Act, there is no adequate provision to stop the misuse of mobile phones in the jails. Therefore, it is necessary in the public interest to make stringent provisions in the law to curb this crime, there is need to further amend the Act.

Hence the Bill.

PT. SHIV CHARAN LAL SHARMA, Minister of State for Labour & Employment, Haryana.

Chandigarh: The 21st February, 2014.

SUMIT KUMAR, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद ]

2014 का विधेयक संख्या 6 - एच०एल०ए०

कारागार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014

कारागार अधिनियम, 1894, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

सक्षिपा नाम।

1. यह अधिनियम कारागार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है

1894 का फेन्द्रीय आधानयम् १ की धारा ३ का संशोधना 2. कारागार अधिनियम, 1894 (जिसे. इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धार 3 में.---

- (i) खण्ड (8) में "और" शब्द का लोप कर दिया जाएगा
- (ii) खण्ड (9). में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिहन के स्थान पर ''और'' चिहन तथा शब प्रतिस्थापित किया जाएगा: तथा
- (iii) खण्ड (9), के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात --
  - "(10) "बेतार संसूचना यन्त्र" इसमें मोबाइल फोन, वैयक्तिक कम्प्यूटर हेतु वार् फाई, टंब्लिट वैयक्तिक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर, लैपटोप, पामटोप तथा संसूच-के लिए उनके उपयोग जैसे वाचिक, गैर वाचिक, इन्टरनेट, जनर-फॉकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस), इ-मेल, शॉर्ट मैसज सर्विस (एसएमएस म्हिटमीडिया मैसज सर्विस (एमएमएस) या कोई ऐसा यन्त्र, जो समस् प्रयोजन के लिए उपलब्ध है, शामिल है।"।

1894 का केन्द्रीय अधिनियम 9 में धारा 42फ का रखा जाना। 3. मूल अधिनियम की धारा 42 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् --

"42क, बेतार संसूचना यन्त्र के भोग का निषेध.- (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात होते हुए भी. यदि कोई बन्दी बेतार संसूचना यन्त्र या इसके घटकों जैसे सिम कार्ड, मेमिर का बैटरी या चार्जर या ऐसे यन्त्र के किसी अन्य घटक का भोग, संचालन या उपयोग करने का दो पाया जाता है या यदि बन्दी या कोई अन्य व्यक्ति उनकी सप्लाई में सहायता करता है या दुष्प्रेरि करता है या प्रेरित करता है तो यह कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए कारावास से जो ते वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या पच्चीस हजार रुपये से अनिधिक जुर्माने से या दोनो से दण्डर्न होगा!

- (2) यदि बन्दी जेल परिसरों के अन्दर या बाहर किसी अपराघ को करने का प्रयास करने. दुष्प्रेरित करने, षड्यन्त्र करने या करने के लिए बेतार संसूचना यन्त्र का उपयोग करता हुआ पाया जाता है तथा उसके परिणामस्वरूप कोई अपराध किया जाता है, तो वह इस प्रकार किए गए अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में उपबन्धित कारावास से दण्डनीय होगा।
- (3) बन्दी पहले से भोग रहा दण्डादेश के पूरा होने के बाद उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के अधीन दंडित दण्डादेश भी भोगेगा।"।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान में हरियाणा राज्य में जेल अधिनियम, 1894 लागू है। इस अधिनियम में मोबाईल इत्यादि की रोकथाम के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं है। अत: जनहित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस अधिनियम में कुछ ऐसे सख्त प्रावधान विधान सभा के पटल पर अनुशंसा हेतु रखे जायें, तािक मोबाईल इत्यादि से होने वाले अपराधों को रोका जा सके। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

पं० शिव चरण लाल शर्मा, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 21 फरवरी, 2014. सुमित कुमार. सचिव।

52040--H.V.S.--H.G.P., Chd.